

1/12/25 वकील परेश्वरान उप.


अप्रार्थी ज ① व ② ने बयान करवाया  
नहीं चाहा। अतः अप्रार्थी ज ① व ② बंद  
की जाती हैं। पत्रावली करते अतः

अप्रार्थी न. निष्पत्ती की जाती है।

अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक अन्तर्गत O.A. R. 14  
खण्ड 151 CPL का पेश किया। अप्रार्थी ज.

① ② ने जब्त पेश करना चाहा।  
पत्रावली करते जब्त अप्रार्थी ज ① ②  
को पेश हो।

दिनांक 8/12/25 को



न्यायाधीश

जिला न्यायाधीश  
समयमंडी, जिला जज (सि.ज.)